

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 800 सन 2020/ऑन लाईन नम्बर:-2020/01357

अनवान :-

1. छोटूराम पुत्र नानुराम जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र नानुराम जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
2. भूराराम पुत्र नानुराम जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
3. बुधराम पुत्र नानुदास जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
4. राजकुमार पुत्र नानुदास जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
5. सन्तलाल पुत्र नानुदास जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
6. धर्मोदेवी पुत्री नानुदास जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 22/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा के खाता संख्या 39/42 की कुल 7.3210 हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नानूराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता नानूराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के पिता नानूराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो नानूराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास के नाम से दर्ज भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अर्थात् वाद भूमि के जायज हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है।


प्रतिवादी संख्या 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या नानूराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता नानूराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो नानूराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास के नाम से दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वादी भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 39/42 की कुल 7.3210 हैक् में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नानूराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता नानूराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के पिता नानूराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो नानूराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास के नाम से दर्ज भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि के जायज हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है।

प्रतिवादी संख्या 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या नानूराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्मति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 39/42 की कुल 7.3210 हैक् में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नानूराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास के नाम से दर्ज है।

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि नानूराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है नानूराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है अर्थात नानूराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास के नाम से दर्ज भूमि देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या

उपरोक्त अधिकारी  
बोहर

संख्या 6 बहिब पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 जो वादी की वहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानबास उतरादा के खाता संख्या 39/42 की कुल 7.3210 हैक् भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि नानुराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा जोरावरपुरा के खाता संख्या 28/30 में प्रतिवादीगण के पिता का नाम नानुराम उर्फ नानुदास के स्थान पर नानुदास , एवं राजेन्द्र के स्थान पर राजकुमार संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )

सत्यमेव जयते

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. छोटूराम पुत्र नानुराम जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र नानुराम जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
2. भूराराम पुत्र नानुराम जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
3. बुधराम पुत्र नानुदास जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
4. राजकुमार पुत्र नानुदास जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
5. सन्तलाल पुत्र नानुदास जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
6. धर्मोदेवी पुत्री नानुदास जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 800 सन 2020 निर्णय दिनांक-22/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानबास उतरादा के खाता संख्या 39/42 की कुल 7.3210 हैक्ठ भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि नानुराम उर्फ नानुदास पुत्र पतरामदास के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 वहिय के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा जोरावरपुरा के खाता संख्या 28/30 में प्रतिवादीगण के पिता का नाम नानुराम उर्फ नानुदास के स्थान पर नानुदास , एवं राजेन्द्र के स्थान पर राजकुमार संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )